

कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकफा.15(94)सविरा/बैंक-1/एकमुश्त समझौता/2011पार्ट-1-01378

दिनांक:

प्रबंध संचालक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लि0,.....(समस्त)

विषय:- एक मुश्त ऋण राहत योजना 2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स/नागरिक सहकारी बैंकों द्वारा वितरित ऋणों में से अशोध्य एवं संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत ऋणों की वसूली कर पुनः साख चक्र में लाने एवं गैर निष्पादित आस्तियों के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से दिनांक 05.07.2019 को एक मुश्त ऋण राहत योजना 2019 जारी की गई थी। जिसे पूर्व में दिनांक 31.03.2024 तक बढ़ाया गया था।

उक्त योजना की अवधि 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना की समस्त शर्तें पूर्वानुसार ही रहेगी।

(शोभिता शर्मा)

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय)

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ.....(समस्त)
2. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ.....(समस्त)
3. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियाँ.....(समस्त)
4. विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियाँ.....(समस्त)
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दी राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन लि0, जयपुर।
6. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय)

